

20/4/21

पञ्जावनी प्रचलित की गई। वकील सार्थक
इपठ। मूल वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार
का नहीं लेने के कारण अतीत होने पर
प्राप्त पत्र श्री राम कोचिपदीन है। कतः प्राप्ता
इति तत्र पर खासिय किता आता। पञ्जावनी
निधमानुका दाखिल पत्र हो नम्बर से म्म
हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

